

व्यहस मुन/ जे । पत्रावली/ वापि मापरा पर
को

05/01/23

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। मस्य
पर मनन किया गया। पत्रावली, पत्रावली पर
उपस्थित दस्तावेज व न्याय के मुखेगत प्रावधानों
का अवलोकन किया गया। प्रा. पत्र अंतर्गत धारा
251-क, राज. का. अधि., 1955 सामिल ना होने पर
स्वारित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृष्ठा सं
संकेत करवाया जाकर सुनने न्यायालय में सुनाया
गया। पत्रावली कैशाल शुमार है नंबर से कम होकर
कारिवल दफ्तर हो।

उपरखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

